

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

धंक ४४

भाग १९

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाई देसाई

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ दिसम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६

विदेशमें रु० ८; शि० १४

हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि

अगर आप मुझे विजाजत दें तो मैं कर्वे-रिपोर्टके बारेमें कुछ कहूँगा; क्योंकि मुझे लगता है कि अस प्रश्न पर बड़ी गलत-फहमी, गलत डर और अम लोगोंमें फैला हुआ है। किसी खास समय किसी खास बात पर जोर देनेके बारेमें मतभेद जरूर हो सकता है।

अब हमारी बुनियादी दृष्टियां क्या हैं? अेक दृष्टि यह है कि हम कुदरती तौर पर अत्यादन बढ़ाना चाहते हैं, देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि करना चाहते हैं, देशमें अधिकाधिक अद्योग-धन्धे बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि देशमें बड़े पैमाने पर अद्योग-धन्धे खोले बिना और अत्यादनकी नवीसे नवी पद्धतियां अपनाये बिना हम भारी तरक्की कर सकेंगे। बड़े पैमानेसे मेरा मतलब सिर्फ बड़े अद्योगोंसे नहीं, बल्कि व्यापक पैमाने पर अद्योग-धन्धे खोलनेसे भी है। अगर हम लोग लोहे और फौलादके कारखानोंका विकास करना चाहते हैं, तो हमारे देशमें लोहे और फौलादके नयेसे नये यंत्रोंवाले कारखाने होने चाहिये। अगर हम रेलके अंजिनका कारखाना रखना चाहते हैं, तो वह नयेसे नये ढंगका होना चाहिये। अगर हमारे पास, फर्ज कीजिये, सीमेन्टका कारखाना हो, खादका कारखाना हो, रक्षाके लिए हथियार तैयार करनेवाले कारखाने हों या सबसे अधिक बुनियादी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यंत्र बनानेवाले कारखाने हों, तो वे नयेसे नये ढंग और नवीसे नवी पद्धतिके होने चाहिये। हम पुरानी पद्धतियोंसे काम चलाकर न तो दूसरे देशोंकी होड़में खड़े रह सकते हैं और न ज्यादा माल अत्यधिक कर सकते हैं। यह अेक दृष्टि हुआ।

दूसरी और अन्तीम ही महत्वकी दृष्टि है लोगोंको कामधन्धा देनेके बारेमें। देशमें बेकारीका होना, खास करके बड़े पैमाने पर बेकारीका होना, हमें पुसा नहीं सकता। लोगोंको काम देना केवल हमारा फर्ज ही नहीं, सामाजिक आवश्यकता भी है। अगर हम यह व्यवस्था नहीं करते तो दोनों तरफसे मुसीबत खड़ी होती है।

अब हमें यिन दोनों दृष्टियोंके बीच सन्तुलन कायम करना है, और सन्तुलन कायम करनेमें कभी बातोंका विचार करना होता है। दूसरी कभी सामाजिक बातोंका विचार करना होता है। बेशक, अद्योगीकरणके पुराने पूजीवादी रूपके खिलाफ अेक बड़ी आपत्ति यह है कि वह जिस सामाजिक दुःख-दर्दको पैदा करता है, असकी बिलकुल परवाह नहीं करता, हालांकि आखिरमें वह देशका अत्यादन जरूर बढ़ाता है। सच पूछा जाय तो मार्क्सीकी पुस्तक 'कैपिटल' शुरूसे आखिर तक अंगलैण्डमें हुओ अद्योगीकरणके विकासकी और असके कारण पैदा हुआ भयंकर मुसीबतोंकी ही चर्चा करती है। दरअसल साम्यवादी दृष्टिकोणका सारा आधार अंगलैण्डमें १९ वीं सदीमें जो कुछ हुआ असी पर है। वह अब पुराना पड़ गया है।

आज कोओ असे दुहरा नहीं सकता और न कोओ असे किसी देशमें दुहराना चाहता है। हम भी अपने देशमें असे दुहरा नहीं सकते, क्योंकि लोग असे बरदाशत नहीं करते। और न हम असे दुहराना ही चाहते हैं।

यिसलिये अत्यादनकी नवीसे नवी पद्धतियां अपनानेके सिद्धान्त पर कायम रहते हुओ लोगोंको कामधन्धा देनेकी बात पर असके असरका विचार करके हमें असकी गति पर हमेशा संयम रखना होगा। अगर कोओ चीज बेकारी पैदा करती हो तो हमें विचार करना होगा कि अस सम्बन्धमें क्या किया जाय, क्योंकि बेकारीका पूजीवादी दृष्टिसे विचार करने पर भी यह देखना हमारा फर्ज ही जाता है कि अगर हम लोगोंको कामधन्धा न दे सकते हों तो हमें अन्हें 'डोल' देना चाहिये। अंगलैण्डको और असके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। बहुतायतसे मालका अत्यादन करके वे अपने बेकार नागरिकोंको 'डोल' देते हैं। हमें अपने अेक करोड़ लोगोंको 'डोल' देना पुसा नहीं सकता। 'डोल' देना बुरी बात भी है। 'डोल' देनेके बदले काम देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुँचाता हो। हम घटिया पद्धतियोंसे काम करके यिस दुनियाके दूसरे देशोंकी होड़में खड़े नहीं रह सकते; और हम अपने बड़े अद्योगों और मध्यम अद्योगोंमें अचूकी पद्धतियां अपनाकर दूसरे किसी अद्योगमें पुरानी पद्धतिसे काम नहीं कर सकते। लेकिन यैसी नीति पर चलना और भी बुरा है, जो अेकदम न सही परन्तु धीरे-धीरे भी यथाशक्ति बेकारीकी समस्या हल करनेमें हमारी मदद नहीं करती। पैदा होनेवाली सामाजिक मुसीबतोंके खयालसे और दूसरी कभी दृष्टियोंसे भी, व्यापक पैमाने पर लोगोंको कामधन्धा देना कहीं ज्यादा अच्छा है। कामधन्धेके फैलावसे पैदा होनेवाली खरीद-शक्ति देशकी आर्थिक व्यवस्थाको ज्यादा तेजीसे आगे बढ़ाती है। यिन सिद्धान्तोंको स्वीकार करके यह सोचना होगा कि अनमें सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? सन्तुलनका व्यान हमें हमेशा रखना होगा।

जहां तक अम्बर चरखेका सम्बन्ध है, अगर मैं कह सकूँ तो असकी कीमत अंतिम रूपसे नहीं आंकी गयी है। असा करनेके बो रास्ते हैं। अेक रास्ता यह है कि निष्णात लोग असे कुछ महीने चलायें और अपनी राय दें। दूसरा और शायद बेहतर रास्ता यह है कि सैकड़ों-हजारों व्यक्ति, साधारण लोग, अस पर काम करें और हम यिसका पता लगायें कि अन्होंने अस पर कैसे काम किया है; क्योंकि वही सच्ची कसीटी है। अब यही किया जा रहा है। अभी तक जो नतीजे आये हैं, वे कुल मिलाकर सन्तोषप्रद हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बिचली मंजिल पर हैं। लेकिन वह हमें आशा, काफी आशा, बंधाती है। अम्बर चरखा कुछ हजार लोगोंमें बांटा जा रहा है; अनुका अनुभव और अनुकी रिपोर्ट बहुत मददगार सावित होगी। असकी परीक्षा करनेवाले

कुछ विशेषज्ञ लोगोंकी टेक्निकल रिपोर्टको छोड़ दें, तो आज भी वह आशाप्रद मालूम होता है और बेशक, अगर मैं अंसा कह सकूँ, हमारी आशासे भी कुछ बढ़कर मालूम होता है।

लेकिन अंबर चरखा यिस विषयमें कोअभी अंतिम चीज नहीं है। आजके अम्बर चरखेमें भी अुपयोग करनेसे सुधार हो सकता है। जाहिर है कि अम्बास और अुपयोगसे अुसमें सुधार हो सकते हैं। और वह ज्यादा और ज्यादा अुपयोगी ओजार बनाया जा सकता है। यिसके लिये कोअभी कारण नहीं है कि अम्बर चरखा या दूसरी कोअभी छोटी घरेलू मशीन समय आने पर बिजलीकी शक्तिका अुपयोग न करे, ताकि बेकारीकी समस्याका हमेशा खायाल रखते हुये धीरे धीरे वह छोटी मशीन भी टेक्निकल दृष्टिसे कार्यक्षम बन जाय। यिसकी पूरी तरह कल्पना की जा सकती है, बेशक यह संभव हो सकता है, कि अम्बर चरखेके मौजूदा डिजाइनसे नहीं तो अुसके कुछ सुधरे हुये डिजाइनसे हम बड़े पैमानेकी अुत्पादनकी पद्धतिको प्राप्त कर सकते हैं। छोटे पैमानेकी अुत्पादन पद्धतिका अेक लाभ यह है कि हमें मालको अेक जगहसे दूसरी जगह नहीं भेजना पड़ता और यिस तरह मालकी लागत कीमत कम हो जाती है। यिसमें कोअभी शक नहीं कि वह बड़ी मशीनके बनिस्बत आर्थिक दृष्टिसे कम कार्यक्षम होगी। हमें दोनोंके बीच सन्तुलन कायम करना होगा। यह सचमुच अेक बड़ा सवाल हो जाता है — हवामें दलीलें करनेका नहीं बल्कि यिन सब बातोंका विचार करनेका और लोगोंको कामधन्वा देनेकी बातको देखने और सबसे पहले तरजीह देनेका।

खादी-आमोद्योग बोर्डने अगले पांच वर्षोंके लिये अेक कार्यक्रम बनाया है। कामकी कुछ कल्पना होनेके लिये, चर्चा करनेके लिये, हमारे सामने योजनाका होना अच्छी बात है। लेकिन सच पूछा जाय तो अुसका आधार कभी अनिश्चित बातों पर है। समय बीतने पर, आजसे छ: महीने बाद, हम अम्बर चरखेके बारेमें कुछ कहनेके लिये ज्यादा अच्छी स्थितिमें रहेंगे। अगले वर्ष, व्यापक पैमाने पर अुसकी अुत्पादक शक्तिको जाननेके बाद हम अुसके बारेमें बात करनेके लिये और भी ज्यादा अच्छी स्थितिमें होंगे। आज हम जो कार्यक्रम बनाते हैं वह केवल अस्थायी कार्यक्रम होगा, यिसकी कीमत दरअसल अेक वर्ष या दो वर्ष बाद आंकी जानी चाहिये और अुसके आधार पर अुसमें फेरबदल करना चाहिये। परिणामके लिये हमें अगले दो वर्षों पर दृष्टि रखनी चाहिये और प्रति वर्षके परिणाम परसे अुसकी कीमतकी जांच करनी चाहिये।

यिसका अेक तीसरा पहलू भी है। अुसका संबंध यिस देशमें होनेवाली कपड़ेकी खपतका अन्दाज लगानेसे है। कपड़ेकी खपत यिस देशमें काफी तेजीसे बढ़ रही है, अुसकी गति धीमी होते हुये भी कुल मिलाकर वह बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हम अन्दाज लगायें — भले वह अन्दाज कुछ भी हो — और अुसके अनुसार हिसाब करें तो वह बहुत अच्छी बात है। अगर कपड़ेकी मांग अुससे कहीं ज्यादा हो तो अुत्पादन पिछड़ जाता है। औसी हालतमें भाव बढ़ जाते हैं और कठिनायिं व मुद्राप्रसार जन्म लेता है। हम यह सब टालना चाहते हैं। हम यिस बारेमें कोअभी जोखिम नहीं अुठाना चाहते, मांगको दोनों तरफकी पूर्तिसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और अुसकी वजहसे दूसरी औसी हालतें पैदा नहीं होने देना चाहते, जिनका न केवल हमारी कपड़ेकी स्थिति पर बल्कि हमारी संपूर्ण अर्थ-रचना पर बुरा असर पड़े। यिसलिये हमें यह विचार करना होगा कि अम्बर चरखा कितनी तेजीसे सूतका अुत्पादन कर सकता है। अंबर चरखेके संबंधमें खास कठिनायी अुसके काम करनेकी नहीं है। वह अच्छा काम दे सकता है। लेकिन खास कठिनायी अुसे हजारों गांवोंमें फैलानेकी

है। खास कठिनायी अुसकी व्यवस्था करनेकी है। किसी बड़े लोहे और फौलादके कारखानेकी व्यवस्था करना तुलनामें आसान है, लेकिन औसी किसी चीजकी व्यवस्था करना कठिन है, जो ५० हजारसे ज्यादा गांवोंमें फैली हुयी हो। अगर अुस चरखेमें कोअभी थोड़ा बहुत बिगाड़ हो जाय तो अुसे सुधारनेकी दूसरी समस्या है। लोगों तक कच्चा माल पहुंचाना और सूत बिकटा करना अपने-आपमें अेक जबरदस्त काम है। अगर यह चरखा संतोषप्रद ढंगसे काम न करे तो अुत्पादनमें कमी हो सकती है। यिसलिये कम अुत्पादनके बजाय अधिक अुत्पादनकी गलती करना बेहतर होगा। अतः हमें अुस दृष्टिसे यह विचार करना होगा कि मिलोंमें या दूसरी जगह कितने तकुओंकी जरूरत होगी। अगर हिसाब करके मालूम हो जाय कि मिलोंमें काफी तकुओं हैं तो कोअभी कठिनायी नहीं रह जाती। लेकिन अगर हमारे पास काफी तकुओं न हों, तो हमें यह विचार करना होगा कि किस हव तक अुनकी वृद्धिको प्रोत्साहन दिया जाय। यिस तरह ये सारी बातें केवल सैद्धान्तिक दलीलों या सिद्धान्तोंकी बातें नहीं, बल्कि तथ्योंका सावधानीपूर्वक विचार करनेके प्रश्न बन जाती हैं।

हमें यह बताया गया था कि यिस समय मिलोंमें अुत्पादनकी खासी अच्छी क्षमता है; जरूरत पड़ी तो तीसरी पाली शुरू की जा सकती है, और भी ज्यादा जरूरत मालूम हुयी तो आज जो तकुओं मिलोंमें निकल्मे पड़े हुये हैं अुन्हें काममें लिया जा सकता है। यिस बात पर हमें विचार करना चाहिये। मेरा मुद्दा यह है कि यह प्रश्न अूचे सिद्धान्तका नहीं है, बल्कि हमारी आजकी कपड़ा-स्थिति पर सावधानीसे विस्तृत विचार करनेका है, ताकि हम अम्बर चरखेको यथासंभव ज्यादासे ज्यादा तेजीसे फैला सकें, अुसके नतीजे देखें, तथा अुसे फैलाते जायं और साथ ही यिस बातका भी व्यायाम रखें कि देशमें बढ़नेवाली मांग और खपतके कारण कपड़ेकी तंगी पैदा न हो। मैं केवल अूचे सिद्धान्तोंके बारेमें दलील नहीं चाहता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ हमारी बूनियादी दृष्टिमें कोअभी भेद नहीं है। यिस या अुस बात पर जोर देनेके बारेमें भत्तेद हो सकता है। हमें यिस सिद्धान्तोंको अपने सामने रखकर और काममें कोअभी बड़ा जोखिम न अठाकर आजमायिश और गलतीके तरीकेसे आगे बढ़ना है।

अम्बर चरखेको दोनों तरहसे विकास करनेका हर मौका दिया जाना चाहिये। अेक, मौजूदा अम्बर चरखेको व्यापकसे व्यापक पैमाने पर आजमाना चाहिये। दूसरे, अुसका विकास करनेके लिये अुसमें हर तरहके आवश्यक टेक्निकल सुधार करने चाहिये। यितना कहनेके बाद, दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमें मिलोंमें किस हव तक तकुओं बढ़ानेको प्रोत्साहन देना चाहिये? यह हिसाब करने और अन्दाज कूतनेकी बात है। जैसे जैसे अम्बर चरखेके कामके नतीजे हमें मालूम होते जायंगे, वैसे वैसे हमारा हिसाब ज्यादा और ज्यादा निश्चित होता जायगा। यिस पर हवामें चर्चा करनेसे कोअभी लाभ नहीं होगा। सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूँ, और अुनमें से अेक सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको अधिकसे अधिक आगे बढ़ाना है। यिसके खिलाफ यह दलील पैश की जाती है: अम्बर चरखेको आगे बढ़ानेसे क्या लाभ होगा, अगर आप अम्बर चरखे द्वारा पैदा किया हुआ सारा सूत काममें नहीं ले सकते? यह बहुत ठोस दलील है। बेशक, पहले हमें अम्बर चरखे द्वारा पैदा किये जानेवाले अच्छे सूतको काममें लेनेकी गारंटी देनी चाहिये और वादमें अम्बर चरखेको फैलाना चाहिये।

यिसके सिवा, हमारी आजकलकी अर्थ-रचना सौभाग्यसे विकास करनेवाली अर्थ-रचना है। लेकिन हमारा झुकाव स्थिर अर्थ-रचनाका विचार करनेकी ओर होता है। विकास करनेवाली अर्थ-रचनाका

अर्थ है अधिक संपत्ति, अधिक खरीद-शक्ति और मालका अधिक अनुपादन। अगर हम स्थिर अर्थ-रचनाकी भाषामें विचार करते हैं, तो हम अपनी अर्थ-रचनाके विकास पर रोक लगा देते हैं। ये सारी कठिनायियां खड़ी होती हैं। केवल कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित मार्गोंकी चर्चा करना बेकार है। ये मार्ग अपने-आपमें अच्छे हैं, लेकिन हमें तो नीचे अुतर कर तथ्यों और आंकड़ोंका विचार करना चाहिये।

एक और बात भी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये। हमारे विकासके बावजूद हमारी बड़ी बड़ी विकास-योजनाओंके कारण हमारी आय पर बहुत जोर पड़ रहा है। हमारे कूटे हुओं साधनों और हम जो कुछ खर्च करनेका अिरादा रखते हैं, अिन दोनोंके बीच बड़ी खाली है। आम तौर पर हम किसी अधिक बड़े प्रयत्नसे और संभवतः बड़ी हद तक किसी बाहरी मददसे अिस खालीको पूरना चाहेंगे। बाहरी मदद मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बाहरी मदद पर भरोसा रखनेके बारेमें हम बहुत निश्चित रह सकते हैं। और चूंकि बाहरी दुनियामें आज अनेक घटनायें घट रही हैं, अिसलिये संभव है बाहरी मदद मांगना आजकी स्थितिमें हमारे लिये बांछनीय न हो।*

(अंग्रेजीसे)

जवाहरलाल नेहरू

टिप्पणियां

संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें

ता० १५-११-'५५ को मद्रासके एक भाषणमें बोलते हुओं डॉ० राजेन्द्रप्रसादने अेक बातके बारेमें, जो देशके दूसरे भी कभी लोगोंको दुःख पहुंचाती है, नीचेके शब्दोंमें अपना दुःख प्रकट किया:

“यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि गांधीजीके अवसानके बाद अितनी जल्दी हम अनु बहुतेरी चीजोंको कैसे भूल गये, जो गांधीजीके जीवनकालमें हमें बहुत स्पष्ट, खुली और स्वयंसिद्ध जैसी दिखाई देती थीं। यह सचमुच बड़े आश्चर्यका विषय है कि बहुतसे मामलोंमें हमें अनु बातोंके बारेमें न केवल सबूतकी जरूरत मालूम होती है, बल्कि वे गलत भी मालूम होती हैं।

“वह बुनियादी बात क्या थी, जो गांधीजीने कही थी? अलबत्ता, अन्होंने हमारे लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारनेके महत्व पर, अनुकी भूख और बीमारीको मिटाने पर जोर दिया था; वे अिन सब बातोंसे अनजान नहीं थे, न अन्होंने अिनकी कभी अपेक्षा की। सच पूछा जाय तो अिन बुराइयोंको दूर करनेके लिये अन्होंने भरसक प्रयत्न किया। लेकिन साथ ही अिस सारी चीजोंको अन्होंने आत्मा और सदाचारकी पक्की नींव पर खड़ा किया था। आज हम अिस नींवको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर अस नींव पर आधार रखें तो भविष्यमें हम अपने काम सही ढंगसे और दृढ़तापूर्वक चला सकेंगे।”

अैसे ही दुखी मनसे कांग्रेसके अध्यक्षने पिछले अपने आसामके दौरेमें कहा था कि स्वतंत्र भारतमें पहला और सबसे बड़ा संकट यह दिखाई देता है कि हमारी आत्मत्याग और बलिदानकी भावना नष्ट हो गयी है। यह हमारे राष्ट्रकी अेक बड़ी पूंजी थी, जिसके बल पर आजादीके लिये हमने प्रयत्न किया और अस हासिल किया। अिस भावनाके नष्ट हो जानेका ताजेसे ताजा सबूत आज हम राज्य-पुनर्नियन्त्रणके बारेमें तथा अस प्रश्नको देखनेकी लोगोंकी वृत्ति और मानसमें देख रहे हैं। अिस दुःखद

* १५ दिसम्बर, १९५५ के 'ओ० आओ० सी० सी० अिक० नामिक रिव्यू' से अद्वृत।

तसवीरको देखकर कुछ लोग अैसा कहने लगे हैं कि हमें अिस सवालको कुछ समयके लिये मुलतबी कर देना चाहिये। स्पष्ट ही यह निराशाकी सलाह है — अैसा अिनकार है जिससे कोई मदद नहीं हो सकती। देरी अिस सवालको हमारे लिये हल नहीं कर देगी, क्योंकि जब कभी हम फिसे अिस सवालको हाथमें लेंगे हमारे सामने यही कठिनाई आयेगी, अगर हमारी वृत्ति और मानस वैसा ही रहेगा जैसा कि आज हम प्रगट कर रहे हैं। अिसलिये हमें अपनी वृत्ति और मानसको बदलना चाहिये, सामूहिक बुद्धिमत्ता तथा अधिकसे अधिक सयानपनसे अिस सवालका सामना करना चाहिये और अैसे निर्णय पर पहुंचना चाहिये, जो माने हुओं ध्येयकी ओर हमारी प्रजाको आगे बढ़ानेमें सहायक सिद्ध हो। हमें संकुचित या अेक भाषाके प्रान्तीयवादसे बूपर अुठना चाहिये, जो आज हम पर बुरी तरह हावी हो गया मालूम होता है।

२०-१२-'५५

(अंग्रेजीसे)

गलत समझ

मध्यभारतसे अेक भाऊ लिखते हैं:

“मध्यभारत भूदान-यज्ञ-समितिका अेक पंद्रह दिवसका शिविर रत्लामके पासके अेक गांवमें हुआ था। अुसमें अनेक अच्च कोटिके विद्वानोंके भाषण और शरीर-श्रमके कार्य हुओ। परंतु शिविरमें कुछ लोगोंके और कुछ स्त्री-पुरुषोंके अेक ही थाली-कटोरीमें भोजन करने पर जब अनसे कहा गया कि अिस प्रकारका सहभोज स्वास्थ्यके नियमोंके विपरीत है, तो बहुतसे प्रमुख कार्यकर्ताओं तकको यह बात नहीं जंची। खास करके रत्लामके श्वेताम्बरी स्थानकवासी जैन सज्जनोंको।

“शिविरमें अेक पक्षका कहना था कि साथ खानेमें आपसका प्रेम बढ़ता है, जब कि दूसरे पक्षका कहना था कि अिस प्रकारका सहभोजन अस्वास्थ्यकर और शिविरमें अेक भद्दा नमूना पेश करनेवाला है।

“गांववालों पर अिसका बुरा असर पड़ रहा है।”

यदि यह सही है तो कहना चाहिये कि यह मानना गलत है — अेक वहम है कि अिस तरह खानेसे आपसका प्रेम बढ़ता है। सहभोजनका अर्थ यह नहीं है। छुआछूतके बिना सब लोग अेक पंगतमें बैठकर अपनी-अपनी थालीमें स्वच्छतापूर्वक अपना खाना खायें, यह ठीक है। अुसका अर्थ अेक ही पात्रमें खाना नहीं है।

२३-१२-'५५

म० प्र०

सर्वोदयके ध्येयके लिये

श्री अम० के० सेन लिखते हैं कि पूर्ण रूपसे सर्वोदयके ही ध्येयके लिये काम करनेवाली अेक प्रेस अेजेन्सी कायम की गयी है, जिसका मकसद सर्वोदयके आदर्शोंके बारेमें समाचार, सूचना और लेख अिकट्ठे करके दैनिक पत्रों और सामयिक पत्रोंको बांटना होगा। अुसका दफ्तर सी-५२, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता-१२ में रहेगा।

अिसके साथ मैं अेक और खुशखबर जोड़ना चाहता हूं कि सर्वसेवा-संघने अंग्रेजीमें 'भूदान' नामक अेक साइक्लो स्टाइलिका अर्थ-साप्ताहिक बुलेटिन हैदराबादसे पिछले माह निकालना शुरू किया है। वह भी भूदानके जरिये सर्वोदयके ध्येयको आगे बढ़ानेके लिये ही निकाला जाता है।

हम दोनोंकी पूर्ण सफलता चाहते हैं।

२०-१२-'५५

म० प्र०

(अंग्रेजीसे)

हरिजनसेवक

३१ दिसम्बर

१९५५

नयी आर्थिक नीति

मैं पाठकोंका ध्यान विस अंकमें अन्यत्र दिये गये श्री जवाहर-लालजीके भाषणकी ओर खींचता हूँ। वह अब अप्रकाशित भाषणकी रिपोर्ट है, जो अनुहोने ५ दिसम्बर, १९५५ को पार्लेमेंटमें कांग्रेस पार्टीकी बैठकमें दिया था। बेशक वह हमारी मौजूदा आर्थिक नीतिका बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वह हमें अपनी आजकी आर्थिक विचारसरणी और विकासकी मंजिल पर प्रधानमंत्रीके रूख और दृष्टिको बताता है। यह मौका सचमुच बड़ा नाजुक और महत्वपूर्ण परिणाम लानेवाला है। अिसलिये अुसके बारेमें आज हम जो निर्णय करेंगे, अुसका बड़ा दूरगामी महत्व होगा और हमारे देशके भविष्य पर अुसका बड़ा असर होगा।

आज हमारे देशकी आर्थिक प्रगतिके विषयमें अिन दो नारेंने मार्गदर्शक सिद्धान्तोंका रूप ले लिया है—पहला, अद्योगीकरणके जरिये अत्यादन बढ़ाना; दूसरा, छोटे पैमानेके ग्रामोद्योगोंका विस्तार करके लोगोंको अधिकाधिक कामधंधा देना। प्रधानमंत्री स्वभावतः विस कठिन समस्याको हल करनेकी अपनी दृष्टिमें सावधान और जाग्रत रहना चाहते हैं। वे निश्चित रूपमें कहते हैं कि विस विषयमें बुनियादी सिद्धान्तोंके बारेमें कोशी ज्ञांगड़ा नहीं है। अनुहोने कहा है: “सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूँ, और अब सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको यथाशक्ति आगे बढ़ाना है।”. दूसरा सिद्धान्त है अत्यादनकी नवीसे नवी पद्धतियां अपनाकर ‘बड़े पैमाने पर’ अत्यादनको निश्चित बनाना। अब एक संयोजित आर्थिक प्रयत्नमें अिन दोनों सिद्धान्तोंका मेल हमें बैठाना होगा।

विसलिये समस्या यह है कि अिन दोनोंके बीच सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? अत्यादन बढ़ानेकी जरूरत तो साफ है। पश्चिमने विसकी पद्धति बता दी है, और अुसमें लगभग रोज ही सुधार हो रहा है। लेकिन यहां हमारी भारतीय परिस्थितियोंमें एक रुकावट आती है, अर्थात् ‘यंत्रोद्योग-संबंधी बैकारी’ की समस्या खड़ी होती है। जैसा कि प्रधानमंत्रीने कहूँ किया है, “अगर कोशी चीज बैकारी पैदा करती है तो हमें सोचना होगा कि क्या किया जाय।” विसलिये हमें कामधंधा बढ़ानेकी व्यवस्था करनेके दूसरे और अगर ज्यादा नहीं तो अुतने ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त पर ध्यान देना चाहिये।

भारतीय संविधानका आदेश है कि :

“राज्य अुचित कानून बनाकर, या आर्थिक संगठन करके या दूसरे किसी मार्गसे विस बातका प्रयत्न करेगा कि खेतिहारों, मिल-मजदूरों और दूसरे सारे कामगारोंको काम और पेटभर मजदूरी मिले, वे अैसी हालतोंमें काम करें जिनसे विस बातका विश्वास हो कि अनुका रहन-सहन भले लोगों जैसा है, तथा वे फुरसतके समयका और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरोंका पूरा पूरा लाभ अुठा सकें। और खास करके—

“राज्य गांवोंमें घरेलू अद्योगोंको व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ानेका प्रयत्न करेगा।”

राज्यकी यह वैधानिक जिम्मेदारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, “विस प्रश्न पर पूँजीवादी दृष्टिकोणसे विचार करने पर भी यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम लोगोंको कामधंधा न दे सकें तो हमें अनुहूँ ‘डोल’ देना चाहिये। अिग्लैण्ड और अुसके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। . . . देशमें १ करोड़ लोगोंको ‘डोल’ देना हमें पुसा नहीं सकता।

‘डोल’ देना बुरी बात भी है। ‘डोल’ देनेके बजाय कामधंधा देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुँचानेवाला हो। . . . अैसी नीति पर अमल करना और भी बुरा है, जो अेकदम न सही परंतु धीरे धीरे भी यथाशक्ति बेकारी दूर करनेमें हमारी मदद नहीं करती।”

एक ओर अद्योगवाद और अुसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली ‘यंत्रोद्योग-संबंधी बैकारी’ और दूसरी ओर कामधंधा बढ़ाने या अर्ध-बैकारी और पूर्ण बैकारीको दूर करनेकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताके अूपरसे दिखावी देनेवाले विस विरोधाभासके बीच मेल बैठाने और सन्तुलन कायम करनेकी समस्या आजके आर्थिक वित्तिहासकी एक अनोखी समस्या है। विसके लिये अैसा ही अनोखा हल भी खोजा जाना चाहिये। विसका मार्ग अम्बर चरखे जैसे औजारों द्वारा हमारी विशाल मानव-शक्तिका अुपयोग करनेकी विकेन्द्रित पद्धतिका विकास करनेसे भिल सकता है। यह हमारे गांवोंके लाखों घरोंमें विकेन्द्रिकरणकी कृषि-जीवोंगिक अर्थरचनाको फैलानेका गांधीवादी मार्ग है। विस अंकमें अुद्धृत किया गया प्रधानमंत्रीका भाषण विस बातका काफी प्रमाण है कि विस प्रश्नमें बड़े गंभीर मुद्दे समाये हुओ हैं। हमें बिना किसी पूर्वग्रहके या पश्चिमके आर्थिक या यंत्रोद्योगवादी दक्षियानुसीपनके पहलेसे बने-बनाये विचारोंके बिना धैर्यपूर्वक अिन मुद्दोंको हल करनेमें लगना चाहिये।

२१-१२-'५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

बम्बई भारतकी दूसरी राजधानी

बम्बई शहरको भारतकी दूसरी राजधानी बनानेका सुझाव (देखिये ता० १०-१२-'५५ के ‘हरिजनसेवक’ में ‘दिल्ली और बम्बई’ नामक लेख) आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुँचा है, यह देखकर आनन्द होता है। अखबारोंसे पता चलता है कि श्री विनोबाको यह सुझाव पसन्द है और अनुहोने विस दिल्ली तक पहुँचाया है। देशकी प्रजाकी ओरसे अनुहोने विस अच्छी बातको या अुचित विचारको आगे बढ़ाया है, विसके लिये मैं अनुहूँ बन्धवाद देता हूँ।

बम्बई शहरका एक छोटासा अलग राज्य बनानेसे यह सुझाव जरूर अधिक अच्छा है। जो वर्तमान बम्बई राज्यके तीन राज्य बनानेमें विश्वास रखते हैं, अनुहूँ तो यह सुझाव अच्छा लगेगा ही। और मुझे अैसा भी लगता है कि अगर अिन दो सुझावोंमें से एकका चुनाव करना हो तो महाराष्ट्रका मन भी बम्बईको भारतकी दूसरी राजधानी बनानेका गैरव प्रदान करनेवाले सुझावकी ओर ही झुकेगा। बम्बई नगरीकी जनताको भी यह सुझाव पसन्द आयेगा, क्योंकि अुसकी जनतामें विस प्रश्नको लेकर जो दुःखद स्थिति, मनमुटाव, जनूनी कड़वाहट और हिंसा पैदा हुयी है, वह भी विस तरहकी योजनासे ही मिटायी और भुलायी जा सकती है। सारे भारतको भी यह विचार पसन्द आयेगा, क्योंकि बम्बई वास्तवमें तो व्यवहारकी दृष्टिसे आज भी भारतकी एक प्रकारकी राजधानी है ही। अुस पर मुहर लगाना

एक विचार यह प्रगट किया जाता है कि बम्बईके राजनीतिक क्षेत्रके लोगोंको यह विचार शायद पसन्द नहीं आयेगा। स्वतंत्र धारासभा और मंत्रिमंडल वगैराकी सत्ता भोगनेका स्वप्न अनुके दिमाग पर हावी हो गया हो, तो वह विस सुझावसे खत्म हो जाता है। बात ठीक है। परंतु वे लोग भी विस दूसरे सुझावको अड़ा तो नहीं देंगे। अितना तो वे भी कवूल करेंगे कि यह सुझाव ज्यादा अच्छा है। तब सवाल केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका रह जाता है। मेरा विश्वास है कि अैसे व्यक्ति-

गत विचार बम्बाईके प्रति अनुकी सच्ची भक्ति और प्रेमके सामने टिक नहीं सकेंगे। अनुकी नगरीको भारतकी द्विसरी राजधानीका अपूर्व गौरव और सम्मान मिल रहा है, यह क्या कम संतोषकी बात है?

ता० १०-१२-'५५ के अपरोक्त लेखमें मैंने राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्टके दिल्ली-प्रकरणका अल्लेख किया था। अुसके ५९३वें पैरेमें ऐसी दलीलकी चर्चा करते हुये कहा गया है कि दिल्लीके संघ-सरकारकी सीधी हुकूमतमें रखा जाय तो "दिल्लीके लोगोंको अंक राज्यकी प्रजाके नाते स्वराज्यका अपभोग करनेका मौका नहीं मिलेगा; यह अंक प्रतिगामी कदम माना जायगा।" अिसके जवाबमें रिपोर्टमें कहा गया है कि "राष्ट्रकी राजधानीमें रहनेवाले लोगोंको अंक खास लाभदायक दर्जा प्राप्त होता है, अिसलिए अुसके बदलेमें थोड़ा त्याग करनेके लिये तो अन्हें तैयार रहना ही चाहिये।" यह सामान्य प्रथा है कि दुनियामें किसी भी राष्ट्रकी राजधानी राष्ट्रके सीधे शासनमें ही रहती है। यह होते हुये भी हमारे देशमें तो ऐसा है कि राजधानीकी प्रजाका पार्ल-मेन्टमें प्रतिनिधित्व रहेगा। अिसलिए वे संघ-सरकारमें अवश्य भाग ले सकेंगे। अिसके सिवा, राजधानीका नागरिक जीवन अुसकी प्रजाके रचे हुये कार्पोरेशनके हाथमें होगा। अुसके अधिकार, कर्तव्य और अुसकी सत्ता सामान्यसे अधिक होगी। अिसके अलावा, बम्बाई नगरके पोर्ट ट्रस्ट तथा पुलिस वगैरा महकमों और कार्पोरेशनको अंक साथ गूंथकर अंक विशेष व्यवस्थाकी रचना की जा सकती है—की जानी चाहिये। अुसमें नगरकी प्रजा अपना नगर-स्वराज्य पूरी तरह भोग सकेगी। कहनेका मतलब यह कि राजधानी बननेसे बम्बाई नगरकी प्रजा स्वराज्यके अपभोगका लाभ खोयेगी नहीं, बल्कि अपने प्रदेशके अनुरूप ढंगसे अच्छी तरह अुसका अपभोग कर सकेगी।

रिपोर्टके ५९०वें पैरेमें राजधानीके लिये जरूरी प्रदेश विस्तारकी चर्चा करते हुये कहा गया है कि राज्यके लिये अधिक विस्तार चाहिये। लेकिन राजधानीके लिये अतुना नहीं चाहिये। राजधानीके लिये तो अुसके भावी विकासके अन्वाजसे जितना भूभाग आवश्यक हो अुतना ही चाहिये। यह चीज बम्बाईको भारतकी द्विसरी राजधानी बनाया जाय तो अुस पर भी लागू होती है।

पार्लमेन्टमें बम्बाईके विषयमें चर्चा हो चुकी है। अुसमें महा-राष्ट्रके मुख्य सदस्योंने जो कुछ कहा, अुससे अिस बातके और ज्यादा कारण जाननेको मिलते हैं कि कमीशनकी द्विभाषी राज्यकी सिफारिश किस तरह अव्यावहारिक और टिक न सकने जैसी है। अिसलिए अुसे रह मान कर ही चलना चाहिये—यह महा-राष्ट्रका विचार महाराष्ट्रसे बाहर भी जड़ पकड़ता जा रहा है। अिसके कारण भले अुन अुन प्रदेशोंके लोगोंके अलग अलग हों, परंतु जितना तो स्पष्ट है कि बम्बाईके द्विभाषी राज्यकी बात बेकार है। तो फिर क्या किया जाय? पार्लमेन्टमें जिम्मेदार व्यक्तियोंने यह बताया है कि कांग्रेस कार्यकारिणीकी तीन राज्य बनानेकी सूचनाको बम्बाई राज्यके सारे पक्षोंने द्विसरे नम्बर पर पसन्द किया है। अिसके आधार पर आगे बढ़कर अिस सूचनाको अधिक स्वागत-योग्य बनानेका विचार करना है। अिसमें बम्बाईको राष्ट्रकी द्विसरी राजधानी बनानेका सुझाव अपयोगी सिद्ध हो सकता है। सब मिलकर अिस पर विचार करें और गांधी-गुंजरी बातोंको भूलकर अिस विषयमें अंकमत हो जायें, तो अुसमें सभीकी शोभा बढ़ेगी और बम्बाई नगरी सुन्दर ढंगसे फिर अंक होकर अपने जीवनका विकास करेगी।

२६-१२-'५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

सफाओ-कामगारोंका सवाल

अंक समय अिस विषयमें चर्चा चल रही थी कि यंत्रोद्योगोंके बजाय ग्रामोद्योगों द्वारा बेकारी दूर हो—अधिक लोगोंको काम मिले तो ज्यादा अच्छा है। अिसे बिलकुल नापसन्द करनेवाले अंक यंत्रोद्योगवादके अभिमानीने ताना भारते हुये कहा, "पाखाना-सफाओ-की लिये भी ऐसा ही सोचें तो बहुत लोगोंको काम मिल सकता है!"

यह बात सुनकर किसी भी देशभिमानी भारतीयको दुःख होनेके साथ गुस्सा आये बिना नहीं रहेगा। अिसमें छिपी कूर मूर्खताकी हृद हो गयी है!

अिस परसे मुझे अंक अिसी तरहकी कूर मूर्खताकी द्विसरी बात याद आयी, जो १९३७ में गांधीजीकी बुनियादी तालीमकी कल्पनाके निकलने पर अंक विद्वान सम्पादकने कही थी। अुन्होंने अपने अंग्रेजी अखबारमें लिखा था, "पड़ोसमें चलनेवाले युद्योगके द्वारा शिक्षण देनेकी बात यदि बम्बाईके अपनगर बांदरामें लागू करनी हो, तो वहां क्सासीखानेके युद्योग द्वारा बच्चोंको शिक्षण देना चाहिये!"

परंतु ऐसी बातोंका कड़वा धूंट पी जाना चाहिये। यह सच है कि वे कहनेवालेके मनमें गांधीजीकी सूचनाके खिलाफ रही सख्त नापसन्दगी बताती हैं। खैर।

पाखाना-सफाओ-की मुख्य बातका विचार करें। शहरोंमें गटरोंके जरिये यह काम होता है; लेकिन सभी बड़े शहरों और गांवोंमें गटरें नहीं होतीं। ऐसे सब स्थानों पर तो म्युनिसिपैलिटी सफाओ-कामगारोंको रखकर यह काम अुनसे करवाती है। अिसमें यंत्रोद्योगका कोओ विचार भी नहीं करता। गुटर बनवायें तो भी अुसे साफ तो रखना ही पड़ता है। अिस कामके लिये भी लोगोंको नौकर रखना पड़ता है। अिसलिए पाखाना-सफाओ-से अधिक रोजी मिलनेकी बात तो बेसमझी और अज्ञानकी ही मानी जायगी।

लेकिन अिसमें भी प्रश्न दूसरा ही है। अिन कामगारोंकी हालत और तनखाहें कैसी हैं? आज अिन प्रश्नोंकी जो अपेक्षा की जाती है वह अक्षम्य है। बम्बाई राज्यमें अिन बातोंका विचार करनेके लिये बर्वेसमिति कायम की गयी थी। अुसकी बहुत मर्यादित सिफारिशों पर अमल करनेमें भी कजी जगह आनाकानी की गयी। ये सिफारिशें कोओ अंतिम नहीं थीं। सच पूछा जाय तो अिस दिशामें अुनसे भी आगे जाना चाहिये।

पाखाना-सफाओ-के बारेमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हरिजनोंको यह काम ही छोड़ देना चाहिये। अिसके बिना सर्वांगि इन्हूं समाजको भान नहीं आयेगा। हरिजन यह काम छोड़ें ही नहीं, ऐसा कोओ अुनसे कह नहीं सकता। भारतके नागरिकोंके नाते अन्हें कोओ भी काम करनेका अधिकार है। परंतु ऐसा मानकर तो वह हरिगिज नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि वह काम बुरा है या न करने जैसा है। सच्चा सुधार तो यह होना चाहिये कि समाजके लिये पाखाना-सफाओ-का काम नीचा है, अिस तरहकी भावना मिट जानी चाहिये। अिसीलिए गांधीजी हमेशा कहा करते थे कि मैला अठानेका काम तो हमारी माँ करती है; अुसे नीचा या हल्का कौन कह सकता है? यह काम हर-ओको करना चाहिये। अिसीलिए बुनियादी तालीममें अुसे स्थान दिया जाता है। प्रत्येक शाला अपना, पाखाना और पेशाबघर रखे और बालक समझके साथ अुनकी सफाओ-करना सीखें, तो वे अनुबन्धपूर्वक स्वास्थ्य-विज्ञान भी सीखेंगे और सफाओ-के नियमोंका पालन करना भी अन्हें अपने-आप आ जायगा। अिस तरहकी क्रान्ति शिक्षणमें हो, तो ही हमारी जनताके गलत संस्कार अंक पीढ़ीमें दूर हो सकते हैं। पाखाना-सफाओ-और झाड़ू लगाकर

कचरा-कूड़ा साफ करनेका काम अन्तमें तो हमेशा विकेन्द्रित ही रहनेवाला है। हर घरको और हर व्यक्तिको अुसका ध्यान रखना चाहिये। सारे समाजका जो कूड़ा-कचरा अिकट्ठा हो अुसकी अुचित व्यवस्था करके अुससे सोने जैसा कीमती खाद तैयार करनेके बारेमें म्युनिसिपलिटियों तथा सरकारोंको योजनाबद्ध विचार करना चाहिये। यिस संबंधमें योजना-कमीशन कुछ नहीं करता, यह बड़े दुःखकी बात है। ऐसी हालतमें यह काम राज्य-सरकारोंको अपने स्वास्थ्य-विभाग और स्थानीय स्वराज्य-विभागके मारफत करना चाहिये। यिसके लिये अेक आवाजसे अविल भारतीय स्तर पर प्रयत्न किया जाय, तो अस्पृश्यता-निवारणके काम पर अुसका अच्छा असर होगा। और देशके लोकमानस तथा शिक्षणमें भी अुससे जरूर फर्क पड़ेगा।

२१-१२-'५५

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

देशी भाषायें और राजकाज

रेल्वे बोर्डने अपने विभागमें यह आज्ञा निकाली है कि स्टेशनों पर तरह तरहके जो तस्ते लगाये जाते हैं, अनुमें अमुक अंग्रेजी शब्दोंके लिये अमुक हिन्दी पर्यायोंका अुपयोग किया जाय। यिसके पहले अनु अंग्रेजी शब्दोंके लिये अमुक हिन्दी शब्द रखे गये थे और तस्तों पर वे शब्द लिखे जाने लगे थे। वे शब्द कैसे विचित्र थे, यह नीचेके कुछ अुदाहरणोंसे मालूम होगा। Exit = प्रस्थान। Waiting Room = प्रतीक्षालय। (for Ladies = स्त्री-प्रतीक्षालय !) आदि।

अब जो शब्द सुझाये गये हैं अनुमें बहुत सुधार हो गया है। यह बताता है कि पारिभाषिक शब्दोंकी रचना धीरे-धीरे केवल संस्कृतसे लदे हुवे अनुवादसे बाहर निकल रही है। यह बहुत स्वागतके योग्य परिवर्तन है, जो सरकारके सभी विभागोंमें फैलना चाहिये — खास करके शिक्षा-विभागके पारिभाषिक शब्दोंकी रचनासे संबंधित मंडलमें; आज तो वह यिस दिशामें क्या कर रहा है, यिसका लोगोंको कुछ पता ही नहीं चलता!

रेल्वे बोर्ड द्वारा सुझाये गये नये शब्दोंके नमूने अखबारोंके संवाददाताने दिये हैं, जो मैं नीचे देता हूँ:

'प्लेटफार्म' और 'स्टेशन मास्टर' शब्द मूल रूपमें ही रहेंगे। (गुजरातीमें प्लेटफार्मके तदभव रूपमें 'फलाट' कहा जाता है, जो अपनाने जैसा माना जा सकता है।)

Assistant = सहायक

Exit = बाहर

Entrance = अन्दर

Parcel Outward = जानेवाला पारसल

Parcel Inward = आनेवाला पारसल

ऐसे सरल और लोगोंकी समझमें आने लायक शब्द सुझानेके लिये रेल्वे बोर्डको धन्यवाद देना चाहिये। यिसी तरह अगर दूसरे सरकारी विभाग भी काम करने लगें, तो अंग्रेजीसे हिन्दी पर पहुँचनेमें पंडित लोग और सरकारी अधिकारी भय दिखाकर जो देर करवाते हैं वह तुरन्त बन्द हो जाय। असल बात यिस काममें लगनेकी यानी लोगोंमें प्रचलित शब्दोंको अपनाते जानेकी और अुनका अुपयोग शुरू करनेकी है। अेक बार यिस कामकी हवा फैली कि लोग भी यिसमें मदद करने लगेंगे और कामको तेजीसे आगे बढ़ानेमें सहयोग देंगे।

रेल्वे बोर्डको अब दूसरा काम यह करना है कि वह लोगोंके साथ अपना पत्रव्यवहार सादी हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंमें शुरू कर दे। यिसमें कानून रक्कावट नहीं डालेगा। यिस तरह यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारोंके सारे विभाग लोगोंके साथ देशी भाषाओंमें पत्रव्यवहार शुरू कर दें तो भाषा-विषयक

कान्ति तुरन्त शुरू हो जायगी। यिसके बिना १५ वर्षमें जो परिवर्तन करनेकी अपेक्षा संविधानमें रखी गयी है, अुसका बातावरण नहीं पैदा हो सकेगा। प्रान्तोंकी नवरचनाके बाद सरकारोंको यह महान कार्य हाथमें लेना चाहिये।

१२-११-'५५

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

वनस्पति अपना सिर अुठा रहा है

वनस्पति अद्योगके पीछे जो खतरे छिपे हैं, अनुके बारेमें हम हमेशा सरकारों और लोगोंको चेतावनी देते रहे हैं। वह धीके व्यापारके नष्ट करता है, तेलधानीके अद्योगको वरबाद करता है और धीमें मिलावट करने लायक चीज मुहैया करके धोखेसे लोगोंको पोषक खुराकसे वंचित रखता है। आखिर अितने समय बाद सरकार अुसकी बुराइयोंके प्रति जाग्रत होती दिखाओ देती है।

केन्द्रीय सरकारके अन्न और कृषि मंत्रालयके बाजार और निरीक्षणसे सम्बन्ध रखनेवाले संचालक-मंडलने 'धीका अध्ययन' नामक अेक पुस्तिका निकाली है। भारत-सरकारके संचालक-मंडलने भारतके ३४ शहरोंमें हाल ही धीके नमूनोंकी जो जांच की थी, वह बताती है कि बाजारमें बेचे जानेवाले धीमें व्यापक रूपमें मिलावट की जाती है। औसत ग्राहकके लिये बाजारमें मिलनेवाले धीकी शकल, स्वाद या गंधसे अुसकी परख करना असंभव होता है। जो नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अनुमें से ३३ प्रतिशतमें बिलकुल धी नहीं था। २५ प्रतिशत नमूनोंमें पचास प्रतिशत तक मिलावट थी और ३३ प्रतिशतमें धीके कुछ निशान ही पाये गये थे। कहा गया है कि सबसे ज्यादा मिलाओ जानेवाली चीज वनस्पति था। और काममें लिया जानेवाला ऐसा धी भैंस और गायके मक्खनके मिश्रणसे बनाया जाता है। केवल आठ नमूने मिलावटसे मुक्त थे, लेकिन "पोषणकी दृष्टिसे बहुत धटिया थे, जिनमें तीन प्रतिशतसे भी अधिक खट्टी चरबीवाले तत्त्व थे।"

जुलाईसे सितंबर १९५२ तक जो ८४ नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अनुमें से ५६ में वनस्पतिकी चरबी मिलाओ गयी थी; दूसरे २० नमूनोंके गुणके बारेमें शंका थी और अनुके बकरी और भेड़का धी होनेकी शंका थी।

धीके नमूनोंका यह विश्लेषण मैसूरकी केन्द्रीय अन्न टेक्निकल अनुसंधानशाला द्वारा और कानपुर तथा राजकोटके संचालक-मंडलकी नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था।

रिपोर्टमें कहा गया है कि देशके लगभग हर भागमें अधिकसे अधिक जो चीज धीमें मिलाओ जाती है, वह वनस्पति है।

वनस्पतिके अुत्पादक अेक संघ बनाकर संयुक्त रूपमें अपने मालका विज्ञापन करते हैं। हम यिस बातकी हिमायत करते रहे हैं कि अन्न और दूसरे खाद्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञापनों पर यह नियंत्रण लगाया जाना चाहिये कि स्वास्थ्य-मंत्रालयकी मंजूरीके बिना वे न निकाले जाय। यिन विज्ञापनोंको बिक्रीके पदार्थोंमें रहे तत्त्वोंका स्पष्ट वर्णन करना चाहिये।

भोलीभाली सामान्य जनताके हितमें ऐसे कदम निहायत जरूरी हैं। पोषणकी दृष्टिसे हमारी जनताका भोजन बहुत धटिया होता है और यिस कमीको और बढ़ानेके लिये सरकार गरीब जनताकी रक्षा करनेके बदले अुसके अज्ञानका नाजायज फायदा अुठानेके लिये अुत्पादकोंके बढ़ावा देती है। हम आशा करते हैं कि कमसे कम अब तो सरकार ग्राहकोंके रक्षाके लिये गहरा विचार करके यिस दिशामें अुचित कदम जरूर अुठायेगी।*

(अंग्रेजीसे)

जै० सौ० कुमारप्पा

* दिसम्बर १९५५ की 'ग्रामोद्योग पत्रिका' से अुद्धृत।

मिल बनाम अम्बर चरखा

अंसा कहा जा सकता है कि मैं कपड़ेकी खरीद, बिक्री और अत्यादनके व्यवसायमें जन्मसे ही पड़ा हुआ हूँ। और आजके कपड़ा तैयार करनेवाले तथा कपड़ेका अपयोग करनेवाले सारे देशोंका दौरा भी मैंने किया है। लगभग पच्चीस-छब्बीस वर्षके अपने अनुभवसे मैं कहूँगा कि अंबर चरखा ही हमारी ग्रामजनताकी बेकारी दूर करनेका बड़ेसे बड़ा साधन है।

वर्षोंसे कपड़ा अत्यन्त करनेवाले एक कारखानेदारके नाते भी मैं दावेके साथ कहूँगा कि अंबर चरखेका अर्थ है कपड़ेके मिल-अद्योगका विकेन्द्रीकरण।

कपड़ा-मिलोंके मालिकोंकी चिन्ताको हम समझ सकते हैं। मैं अनुमें से ही एक हूँ। अंबर चरखेके अपयोगसे यत्रोंके बल पर चलनेवाली बड़ी मिलों पर जरूर असर होगा। परन्तु यह असर देशके लाखों बेकार लोगोंको काम देनेकी तुलनामें कुछ नहीं है।

बड़ी मिलोंके कपड़ेकी कीमतकी तुलना अंबर चरखेके सूत तथा कपड़ेकी कीमतके सांथ करनेवाले लोग यह बात आसानीसे भूल जाते हैं कि भारतके मिल-अद्योगको बाहरके कपड़ेके खिलाफ सौ प्रतिशत आयात-महसूलका रक्षण प्राप्त है। अितना ही नहीं, विदेशोंसे कपड़ा मंगानेकी भी लगभग पूरी मनाही है।

मेरा यह विश्वास है कि अंबर चरखेको अितना रक्षण तो क्या, कपड़ा मिल-अद्योगको मिलनेवाले रक्षणका अमुक प्रतिशत रक्षण या मदद भी मिले, तो यह सिद्ध हो जायगा कि कपड़ा-अद्योगका विकेन्द्रीकरण अिस देशके लिये रामबाण अिलाज है।

कपड़ा मिल-अद्योगको सरकारकी ओरसे जो विजली, पानी, जमीन, पूजी तथा अन्य सुविधायें और रक्षण प्राप्त होते हैं, अन्तती सब सुविधायें और मदद या अनका अमुक प्रतिशत भी अगर अंबर चरखे जैसे भारतके लाखों गरीबोंको रोजी देनेवाले साधनों और औजारोंको मिले तो हमारा देश जल्दी अन्नत और खुशहाल बनेगा।

यह निश्चित है कि जब हमारे लाखों गांवोंमें विजली, अच्छी सड़कें तथा डाक-तार और यातायातकी सुविधायें पहुँच जायंगी, तब शहरोंमें हृत्रिम ढंगसे चलनेवाले बड़े अद्योगोंका अन्त आ जायगा। अिसीलिये स्थापित स्वार्थवाले लोग गांवोंमें विजली, पानी, डाक-तार, यातायात वगैराकी सुविधायें दाखिल करनेमें ढिलाई करते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारीने भारतके अद्योग-मंत्रीके नाते छोटे और बड़े तथा शहरों और गांवोंके अद्योगोंकी ओर समान दृष्टि रखनेके बदले कपड़ेके केन्द्रित मिल-अद्योगका जो पक्ष लिया है, वह अन्यायपूर्ण और अशोभनीय है।

खादी और मिल-कपड़ेकी कीमतोंकी तुलना करनेवालोंको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि मिल-कपड़ेके अत्यादनमें मिलनेवाली विजली, पानी, रुबी, पैसे वगैराकी सुविधायें अगर खादी-अत्यादन करनेमें मिले, तो कपड़ेका केन्द्रित मिल-अद्योग कभी भी विकेन्द्रित ग्रामोद्योगके सामने टिक नहीं सकता। अंबर चरखा कपड़ेके मिल-अद्योगके लिये एक जबरदस्त चुनौती है। अिसलिये असका जन्म होते ही अुसे दबा देनेकी बत्तें हो रही हैं, जो देश तथा असके लाखों ग्रामजनोंके हितमें नहीं हैं।

(गुजरातीसे)

मणिलाल दोशी

हमारे गांवोंका पुर्निमाण

लेखक : गांधीजी

संपादक : भारतन् कुमारपा

कीमत १-८-०

डाकखंच ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

श्रद्धा और विचार

“अिस समय हर जगह धार्मिक पागलपन बढ़ता मालूम हो रहा है। छोटे-छोटे गांवोंमें साधु-संत धर्मके बहाने अपने पैर फैला रहे हैं। भोलीभाली प्रजाको धर्मके पीछे पागल बनाकर यज्ञ-याग कराते हैं और हजारों रूपयोंकी बरबादी करा रहे हैं। ये पैसे अगर प्रजाकी ओरसे दी गयी रकमके रूपमें पंचवर्षीय योजनाके लिये खर्च किये जायं तो ग्राम-विकासके बहुतसे काम हो सकते हैं। क्या अंसे धार्मिक पागलपनको आप रोक नहीं सकते ?”

एक पाठकने अंसा प्रश्न किया है। अंसा प्रश्न अठ सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकारें बड़ी बड़ी दावतें और समारोह करती हैं (मिसालके लिये, अभी अभी जो विदेशी मेहमान आये थे अनुके लिये)। यह पैसा बचाकर अगर पंचवर्षीय योजनामें लगाया जाय तो देशको कितना लाभ हो ? अिसी तरह थोड़े समय पहले अर्थमंत्री श्री देशमुखने कहा था कि लोग शादियों और जाति-भोजोंमें जो पैसा खर्च करते हैं, वह बचाया जाय तो योजनाके लिये कितना अपयोगी हो सकता है !

यहां असल बात हमारी श्रद्धाकी और अस परसे आंकी जानेवाली किसी चीजकी कीमत और महत्वकी है। अदाहरणके लिये, पत्रलेखकको लगता है कि लोग धर्म मानकर यज्ञ-यागके पीछे जो पैसा खर्च करते हैं वह निरा पागलपन है; अंसी समझवाले लोग भोले हैं अिसीलिये ‘साधु-संत’ अन्हें भुलावेमें डालते हैं। अर्थात् लोगोंमें पुराने धार्मिक रीत-रिवाजोंके बारेमें जो परम्परागत श्रद्धा है, वह अिन भाविको अच्छी नहीं लगती। अन्हें पंचवर्षीय योजनामें अधिक श्रद्धा है।

अिस योजनाको भी नये प्रकारका ‘यज्ञ’ क्यों नहीं कहा जा सकता ? असी प्रकार जिस प्रकार जवाहरलालजी भावरा-नंगल वगैरा बांधीको नये ‘तीर्थ’ मानते हैं।

और अिन नये यज्ञों और तीर्थोंके विषयमें भी अनुके दाव-पेच या शास्त्र जानेवाले — अपरोक्त ‘साधु-सन्तों जैसे — निष्ठात लोग नहीं होते ? और अनुमें भी क्या धूर्त, ठग या रिश्वतखोर नहीं होते ?

अिस प्रकार यहां मैं विचारकी तुलना जो कर रहा हूँ वह कड़ी मालूम हो सकती है। लेकिन अंसा मैं केवल विचारकी स्पष्टता और अदाराताकी जरूरत बतानेके लिये ही कहता हूँ। अिससे ज्यादा गहरे अर्थमें अिस तुलनाको न स्थितनेकी मैं पाठकोंसे प्रार्थना करता हूँ। जहां मूल श्रद्धाका सबाल हो, वहां अंसे श्रद्धा-भेदको भी व्यानमें रखकर विचार किया जाय तो अुसमें अधिक नम्रता और स्पष्टता आनेकी संभावना रहती है। अिसीलिये मैंने अपरकी चर्चा की है।

समाजकी अन्य बातोंकी तरह धर्मके विषयमें भी रूदिके रूपमें यज्ञ-याग, पूजा-पाठ वगैरा चलता है। अुसमें संशोधन करना तथा विचार और विवेकको जाग्रत रखना जहरी है। परन्तु यह काम वे ही कर सकते हैं, जिनका धर्मके प्रति आदर और श्रद्धा हो। आजकल जिन लोगोंमें यह आदर और श्रद्धा कम होती है, वे धर्मकी हंसी अड़ायें तो यह अचित नहीं माना जायगा। धर्म अन्तमें तो स्वयं पालने और अुसी तरह प्रचार करनेकी वस्तु है। और अुसके बाहरी रूप अगर समाजकी नीति-रीति और मर्यादासे बाहर न हों अथवा समाज-हितकी दृष्टिसे निन्दाके पात्र न हों, तो अनुके विषयमें समाजके लोगोंमें परस्पर सहिष्णुता और समभावनाके गुणोंका विकास होना चाहिये। वर्ना हमारे जैसे अनेक धर्मोंवाले देशमें सारी प्रजा अंक साथ नहीं रह सकती। अिसीलिये हमें सर्वधर्म-सहभावका भी ख्याल रखना चाहिये।

१५-१२-'५५

(गुजरातीसे)

मणिलाल दोशी

कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर

स्वराज्यके बाद वेलफेर स्टेट (कल्याण-राज्य) का देशमें आरम्भ किया गया। कल्याण-राज्यका अर्थ है अधिकसे अधिक सत्ता कुछ व्यक्तियोंके हाथोंमें रहेगी और लोगोंका सारा जीवन वे व्यक्ति नियंत्रित करेंगे। कुल देशके पांच लाख देहातोंकी योजना दिल्लीमें बनेगी। जीवनके जितने अंग-प्रत्यंग हैं, अनुके विषयमें दिल्लीमें ही बातें तय होंगी। समाजमें क्या-क्या सुधार हों, शादियां किस ढंगसे हों, छूट-अछूटका भेद कैसे निवारण किया जाय, देशमें कौनसी चिकित्सा-पद्धति लाग की जाय, हिन्दुस्तानमें किस भाषाका प्रचलन चाहिये, सिनेमा किस ढंगसे चलने चाहिये जित्यादि जीवनके विषयोंमें दिल्लीमें योजना तय होगी। यदि जितनी अधिक सत्ता हम केन्द्रको देते हैं, तो सारा जन-समुदाय पराधीन हो जाता है, अनाथ बनता है। यिस वास्ते दिल्लीकी सत्ता ही कम होनी चाहिये। परमेश्वरने हरअेकको जितनी जरूरत है, अनुकी बुद्धि बाट दी है और खुद क्षीरसागरमें शयन करता है। अगर अुसने कुल अकलका भंडार अपने पास रखा होता, तो वह पसीना-पसीना हो जाता। परन्तु अुसने मनुष्योंको और प्राणियोंको बुद्धि दे दी है और यितना तटस्थ रहता है वह कि कुछ लोग कहते हैं कि वह है ही नहीं।

सर्वोत्तम सत्ताका यह लक्षण है कि अुसका विभाजन सार्वत्रिक होता है। सर्वोत्तम सत्ता वह होती है जिसके बारेमें यह शंका होती है कि कोओी सत्ता चलाता भी है या नहीं? हमें यह शंका होनी चाहिये कि दिल्लीमें कोओी राज्य चलाता है या नहीं? कोओी कहेंगे, 'हाँ, दिल्लीमें राज्य चलता है, बीच-बीचमें वहाँ सज्जन आते हैं, सभा होती है, चर्चा करते हैं।' कोओी कहेंगे, 'वहाँ कोओी राज्य चलाता है जैसा नहीं दीखता है, क्योंकि हमारे गांवका कारोबार तो हम ही देखते हैं।' केन्द्रीय सत्ता यिस तरहसे परमेश्वरी सत्ताका अनुकरण करनेवाली होनी चाहिये।

सत्ताका विभाजन होना चाहिये और ज्यादासे ज्यादा अधिकार गांवमें होना चाहिये। अेक गांव हो या दो-चार-पांच छोटे गांव मिलकर अेक क्षेत्र बने हों, लेकिन छोटी-छोटी विकायियोंमें पूर्ण सत्ता होनी चाहिये। गांव-गांवमें ग्राम-योजना चलेगी। ग्राम-योजना ग्राममें होनी चाहिये। आज तो सारे राष्ट्रके लिए दिल्लीमें योजना बनती है। यिस तरीकेसे अपना देश बन नहीं सकता, यिसकी ताकत नहीं बढ़ सकती। यिसलिए होना यह चाहिये कि गांवका कारोबार पूरा-पूरा गांवमें ही हो। गांवके लिए आयात-निर्यात रोकनेका अधिकार गांवको होना चाहिये। गांववाले अपने लिए जो फैसला करेंगे वह सर्वानुमतिसे होगा।

अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अहिंसा पर खड़ा हो, तो हमें दूसरे ढंगसे सोचना चाहिये। अुसके लिए हमें अपने समाजकी रचना अपने विचारसे करनी चाहिये। केवल परिचमका अनुकरण नहीं चलेगा। कुल दुनियाके देशोंके लोग शांतिके लिए व्याप्त हैं, क्योंकि वे अटम और हाइड्रोजनकी शक्तिके मारे भयभीत हैं। वे समझ गये हैं कि यिससे दुनियाका नाश होगा, कुछ काम नहीं होगा। अगर हम शांति चाहते हैं, तो शांतिके अनुकूल रचना करनी होगी। करना यह होगा कि सरकारका अेक-अेक कार्य जनताको अपने हाथमें लेना होगा। सरकारका काम कम होते होते सरकार क्षीण हो जाय, जैसी योजना करनी होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी मैं प्रेम-समाजमें बोल रहा था। प्रेम-समाजके लोग बीमारोंकी और दुखियोंकी सेवा करते हैं। हिन्दुस्तानके तमाम बीमारोंकी सेवा करनेका काम जनता बुठा लेगी तो सरकारका स्वास्थ्य-विभाग खतम हो जायगा। और यह होगा तो बहुत बड़ी बात बनेगी। जैसे रामकृष्ण मिशनके मठोंने सब दूर बीमारोंकी सेवाका काम बुठा लिया है, वैसी जगह-जगह संस्थाओं बनें और लोगोंकी तरफसे काम बुठा लिया जाय। फिर जनताकी

जिस चिकित्सा पर श्रद्धा है वही पद्धति चलेगी। लोग अपनी शक्तिसे सारे काम चलायेंगे। सरकार जब तक है, तब तक अुस काममें थोड़ी मदद दे। परन्तु सरकारका चिकित्सा-विभाग नहीं रहेगा। फिर जो बी० सी० जी० वाला बाद चला है, वह अुटेगा नहीं। आज हालत यह है कि सरकार चाहेगी तो सब लड़कोंको बी० सी० जी० का अिजेक्शन लगवायेगी। राजाजी यिस बारेमें बहुत बोल चुके हैं। यह सारा अिसलिए होता है कि यिस देशने केन्द्रके हाथोंमें सब सत्ता सौंप दी है। हमारे बच्चोंको कौसी दवा देनी चाहिये, यह बात हम लोग तय करेंगे। आजकी हालत यह है कि आरोग्यके लिए कौनसी पद्धति चले, यह सरकार सोचती है। हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ा जुल्म है।

दूसरी मिसाल देता हूँ। शिक्षण पर आज राज्यसत्ताका नियंत्रण है। जो पाठ्यपुस्तक अुत्तरप्रदेशकी सरकार तय करेगी, वही पाठ्यपुस्तक अुस प्रान्तके सब बच्चोंको पढ़नी होगी। यिसका मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागोंमें अपने विचार दूसरेकी शक्ति सरकारके हाथोंमें आवे। अगर सरकार कम्युनिस्ट हो तो बच्चोंको कम्युनिज्म सिखायेगी। सरकार फासिस्ट हो तो सब बच्चोंको फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोशलिस्ट हो तो बच्चोंको सोशलिज्म सिखाना होगा। पूँजीवादी हो तो पूँजीवादका गौरव सर्वत्र सिखाया जायगा। सरकार योजनावादी हो, तो योजनाकी महीमा बच्चोंके दिमागमें ठंसी जायगी। मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागको आजादी नहीं रहेगी। यिसलिए हमारे देशमें माना गया था कि शिक्षण पर राज्यकी सत्ता होनी ही नहीं चाहिये। सान्दीपनि गुरु पर वसुदेवकी सत्ता नहीं चल सकती थी। वसुदेवका लड़का श्रीकृष्ण सेवक बन कर सांदीपनिके पास जा सकता था और सांदीपनि सुदामाके साथ लकड़ी चीरनेका काम कृष्णको देते थे। अब वहाँ पर कौनसी पाठ्यपुस्तक चलनी चाहिये, वह वसुदेव नहीं देखता था। क्षत्रियसत्ता — राज्यसत्ता शिक्षण पर हरिगिज नहीं चल सकती। यिसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषामें आज जितना विचार-स्वातंत्र्य है, अुतना कहीं नहीं दीख पड़ता। हिन्दू-धर्मके अन्दर छह छह दर्शन निकले और वे भी परस्पर विरोध करनेवाले — मीमांसाका खण्डन वेदांत करता है, वेदांतका खण्डन मीमांसा करती है; सांख्यका खण्डन वेदांत करता है, वेदांतका खण्डन सांख्य करता है। लेकिन सांख्य भी हिन्दू है, वेदांत भी हिन्दू है और मीमांसा भी हिन्दू है। विचारका यितना स्वातंत्र्य यहाँ चल सका, अुसका कारण यही है कि राज्यसत्ताका कोओी काबू शिक्षण पर नहीं था। यिस तरहसे सरकारका अेक अेक कार्य जनताके हाथमें आयेगा और सरकारकी सत्ता क्षीण होती जायगी, तो दुनियामें अहिंसा भी टिकेगी और शांति भी टिकेगी। अगर केन्द्रीय सत्ताके हाथमें लोग रहेंगे, तो समझना चाहिये कि दुनिया खतरेमें है।

(१८ नवंबर, १९५५ के 'भूदान-यज्ञ' से)

विनोबा

विषय-सूची	पृष्ठ
हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि	३४५
नयी आर्थिक नीति	३४८
बम्बाई भारतकी दूसरी राजधानी	३४८
सफाई-कामगारोंका सवाल	३४९
देशी भाषायें और राजकाज	३५०
वनस्पति अपना सिर बुठा रहा है	३५०
मिल बनाम अम्बर चरखा	३५०
श्रद्धा और विचार	३५१
कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर	३५२
टिप्पणियां :	
संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें	३४७
गलत समझ	३४७
सर्वोदयके घ्येयके लिए	३४७